

# ब्यावर में स्प्रिट से अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्टरी पकड़ी

चार अभियुक्त गिरफ्तार, शराब परिवहन के उपयोग में लाया जा रहा टेम्पो जब्त

ब्यावर, (निसं)। ब्यावर में स्प्रिट से अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। वहीं पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा शराब परिवहन के उपयोग में लाया जा रहा टेम्पो जब्त किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में स्प्रिट से निर्मित अंग्रेजी शराब, मशीनें, खाली बोतलें, पच्चे तथा देशी-विदेशी अंग्रेजी शराब के लेबल बरामद किये। बताया जा रहा है कि किराये के मकान में फैक्टरी लगाकर अन्दर स्प्रिट से निर्मित अंग्रेजी शराब का कारखाना लगा रखा था।



जिला स्पेशल टीम तथा साकेत नगर थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह आई.पी.एस. के निर्देशन में वृत्ताधिकारी राजेश कसाना के निरूद्ध सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए जिला स्पेशल टीम तथा थानाधिकारी साकेत नगर बलभद्र सिंह ने स्प्रिट से अंग्रेजी शराब बनाने की अवैध फैक्टरी से 38 कार्टून स्प्रिट निर्मित अंग्रेजी शराब व शराब निर्माण में काम आने वाली मशीनें, खाली बोतलें तथा परिवहन में प्रयुक्त टेम्पो को जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जाकारी के अनुसार बुधवार को सांय डीएसटी टीम को सूचना मिली कि साकेत नगर थाना इलाके में कुछ लोगों ने एक किराये के मकान में अवैध शराब बनाने की फैक्टरी लगा रखी है और वहां भारी मात्रा में स्प्रिट से निर्मित अवैध शराब मिल सकती

है। इस पर जिला स्पेशल टीम थानाधिकारी साकेत नगर बलभद्र सिंह पुलिस निरीक्षक ने मय टीम कृष्णा कॉलोनी पहुंचे जहां पर भरत भाई तेली के मकान में टीम ने दबिश दी तो मकान में चल रही अवैध शराब की फैक्टरी मिली, जहां भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट निर्मित अंग्रेजी शराब व देशी व अंडोजी शराब की बोतलें, पच्चे, शराब निर्माण

करने की सामग्री मशीनें, स्प्रिट के खाली ड्रम, शराब की बोतलें पच्चे पर लगाने के लेबल व परिवहन में प्रयुक्त एक लीडिंग टेम्पो भी मिली। वहां पर शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उर्फ शेरू पुत्र भगवानसिंह रावणा राजपूत निवासी महादेव कॉलोनी आईओसी कॉलोनी के पीछे सेन्ट्रल रोड, योगेश भाण्ड पुत्र नारायण लाल भाण्ड

निवासी बिलातों का बाड़िया चांग, दीपक कुमावत पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी कुमावत कॉलोनी फतेहपुरिया दोयम, विक्रम पुत्र शंकरलाल भाण्ड निवासी बिलातों का बाड़िया चांग मिले, जिनके कब्जे से सभी सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तारशुद्ध मुलजिम शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उर्फ शेरू ने मकान किराये पर लेकर मकान के

- भारी मात्रा में स्प्रिट से निर्मित अंग्रेजी शराब, मशीनें, खाली बोतलें, पच्चे तथा देशी-विदेशी अंग्रेजी शराब के लेबल बरामद किये
- किराये के मकान में अन्दर लगा रखा था स्प्रिट से निर्मित अंग्रेजी शराब का कारखाना

अन्दर शराब निर्माण करने की फैक्टरी लगाकर भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट से अंग्रेजी व देशी शराब का निर्माण कर उन पर विभिन्न ब्राण्ड की कम्पनियों के लेबल लगाकर बाजार में बेच रहे थे। आरोपियों के विरूद्ध थाना साकेत नगर में आवकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पृष्ठताछ की जा रही है।

आरोपियों द्वारा शराब बनाने के लिये बड़ी मात्रा में स्प्रिट तथा अन्य सामान कहां से ला रहे थे इस संबंध में भी गहनता से पृष्ठताछ जारी है। मुलजिम शैलेन्द्र सिंह राठौड़ व योगेश भाण्ड के विरूद्ध पूर्व में भी लूट, मारपीट व शराब तस्करी के अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

# साइबर ठगी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

1 करोड़ 81 लाख 16 हजार रूपए का हिसाब मिला



बालोतरा पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में तीन जनों को गिरफ्तार किया।

बालोतरा, (निसं)। बालोतरा पुलिस व डीएसटी टीम ने गुरुवार को साइबर ठगी के मामले में तीन जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर ठगी में प्रयुक्त पांच मोबाइल, नेटवर्क राउटर, विभिन्न बैंकों के एटीएम, पासबुक, बैंक बुक, हिसाब-किताब रजिस्टर व 1 करोड़ 81 लाख 16 हजार 922 सौ रूपए का हिसाब जब्त कर साइबर ठगी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

बालोतरा पुलिस अधीक्षक कुंदन केवरीया ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर छापारणों की रोकथाम, साइबर अपराध प्रकरणों, परिवादों के त्वरित निस्तारण एवं साइबर जागरूकता के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान "साइबर शौल्ड" के तहत गोपालसिंह भाटी आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं सुशील मान आरपीएस, वृत्ताधिकारी बालोतरा के निरूद्ध सुपरविजन में ओम्प्रकाश निपु, थानाधिकारी बालोतरा के नेतृत्व में गठित टीम व डीएसटी बालोतरा की

- पुलिस ने एक रहवासी मकान में दबिश देकर तीनों आरोपियों को पकड़ा
- ऑनलाइन सोशल साईटों पर कस्टमरों को गैम खेलने का झांसा देते थे

सूचना अनुसार साइबर ठगी में उपयोग लिये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विभिन्न बैंकों के एटीएम, बैंक डायरियां, करोड़ों के हिसाब-किताब सहित आरोपी भंवरलाल, लक्ष्मण कुमार व आईदानराम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार आठ जनवरी को डीएसटी बालोतरा से सूचना प्राप्त हुई कि जरखेश्वर बगीची से आगे एक किराये के मकान में तीन युवक मोबाइल फोन, नेट का राउटर, बैंक बैंक बुकें, एटीएम

कार्ड इत्यादि सामग्री के साथ साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना बालोतरा की पुलिस टीम द्वारा जरखेश्वर बगीची के पास रहवासीय मकान पर दबिश देकर आरोपी भंवरलाल, लक्ष्मण कुमार व आईदानराम को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी द्वारा पड़वंत्रपूर्वक योजना बनाकर धोखाधड़ी करने के आशय से ऑनलाइन सोशल साईट, इंटाग्राम व फेसबुक एड आदि पर कस्टमरों को गैम खेलने का झांसा देकर उन्हें प्रेरित कर मोबाइल उपकरणों का उपयोग कर रुपये हड़पना पाया जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों से साइबर ठगी के संबंध में जांच जारी है। पुलिस ने भंवरलाल पुत्र गोनाराम जाट निवासी दामपुरा पुलिस थाना गिड़ा जिला बालोतरा, लक्ष्मण कुमार पुत्र नगराम जाट निवासी पटाली नाडी, रतेड पुलिस थाना गिड़ा जिला बालोतरा, आईदानराम पुत्र तुलहराम जाट सिंगोड़िया पुलिस थाना नागाणा जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया है।

# झूठी एफआईआर लिखने पर एस.पी को हाईकोर्ट की फटकार

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने बाड़मेर कोतवाली थाने में दर्ज एक एफआईआर को फेक करार देते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाते हुए कोर्ट में हाजिर रहकर जवाब तलब किया है। साथ ही कहा है कि पुलिस अधिकारी आमजन के हितों की रक्षा के लिए हैं, उन्हें ये अधिकार नहीं है कि अपने व्यक्तिगत द्वेष के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कर कानून हाथ में लें, उससे खेलने का अधिकार नहीं है। चाहे आरोपी की पूर्व में अपराधिक प्रभूमि रही हो। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों को देखकर प्रतीत होता है कि बाड़मेर पुलिस ने अपने पद और पॉवर का इस्तेमाल कर झूठा मामला परिवारी पर थोपा है। पूरा मामला पिछले साल 28 मार्च

- एफआईआर को फेक करार देते हुए बाड़मेर एसपी को जवाब तलब किया

का है। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में बताया गया कि बाड़मेर शहर के राजकीय अस्पताल के आगे से दिनदहाड़े ब्लैक स्कार्पियो में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया, जिसकी तलाश में पुलिस के साथ बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा खुद अपहृत युवक की दस्तयाब और आरोपियों को पकड़ने में लगे थे। इसी दौरान शहर के चौहटन चौराहे के पास बाड़मेर एसपी को एक ब्लैक कलर की बिना नंबर स्कार्पियो गाड़ी दिखाई दी।

गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन, ड्राइवर ने बाड़मेर एसपी और उसमें सवार ड्राइवर और नरमैन को जान से मारने की नियत से सकारी वाहन को टक्कर मार दी। उसके बाद आरोपी स्कार्पियो लेकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक गांव में स्कार्पियो को बरामद कर लिया था। हालांकि, इस गाड़ी में सवार लोगों का अपहरण की वारदात से संबंध नहीं था। बरामद स्कार्पियो में शैलेन्द्र सिंह नाम के युवक के पहचान पत्र भी बरामद हुए थे। इसी आधार पर बाड़मेर एसपी के आदेश पर वाहन चालक की रिपोर्ट के आधार पर शैलेन्द्र सिंह के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ शैलेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद

कोर्ट ने एफआईआर नंबर 175/2024 पर कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली ने पेश किए गए वीडियो फुटेज और तस्वीरों की जांच के बाद पाया कि वाहनों के बीच कोई टक्कर नहीं हुई थी। यह मामला झूठे सबूत गढ़ने का प्रतीत होता है। कोर्ट ने अपराध की संभावना को लेकर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और कोतवाली थानाधिकारी लेखराज सियाग को शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए, मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी, जिसमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

# ई-मित्र कियोस्कों का निरीक्षण

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में आमजन को योजनाओं का लाभ और ई-मित्र कियोस्कों पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम ने गुरुवार को ई-मित्र कियोस्कों का औचक निरीक्षण किया। संयुक्त निदेशक पवन नानकानी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिले के चार ई-मित्र कियोस्क धारकों के यहां सेवाओं की दर सूची और को-ब्रांडेड बैंक नहीं पाए गए। नियमानुसार इन कियोस्क धारकों पर पेनल्टी लगाकर कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के दौरान एसपी (उपनिदेशक) आबिद हुसैन अंसारी और सूचना सहायक निरंजन खोईवाल भी उपस्थित थे।

# कड़िया गैंग के अपराधियों को गिरफ्तार किया

मेड़ता सिटी, (निसं)। मेड़ता पुलिस ने कड़िया गैंग के अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों का कई अपराधिक रिकॉर्ड पूर्व में भी दिल्ली, राजगढ़, मध्यप्रदेश, केकड़ी सहित कई जगह दर्ज है। मेड़ता थानाधिकारी धर्मेण दायमा ने बताया कि मेड़ता निवासी नमिता टोंक ने मेड़ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनसे कुछ महिलाएं बाजार में उनसे टकराईं। टकराने के बाद उन्होंने देखा कि उनका पर्स जिसमें करीब 1800 रूपए थे गायब हो गया। जिसकी मेड़ता पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर नागौर पुलिस अधीक्षक नारायण टोपाश के निर्देश पर पालना करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार व मेड़ता पुलिस वृत्ताधिकारी रामकरण मल्लंडा के नेतृत्व में एक टीम तैयार की। टीम ने जगह-जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें चार महिलाएं



मेड़ता पुलिस ने कड़िया गैंग के अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

संधिघा घाई गई, जिससे पूछताछ की और आधार कार्ड मांगा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जहां गहन पूछताछ पर उनका सम्बंध कड़िया गैंग से निकला जो

कोर्ट ने एफआईआर नंबर 175/2024 पर कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली ने पेश किए गए वीडियो फुटेज और तस्वीरों की जांच के बाद पाया कि वाहनों के बीच कोई टक्कर नहीं हुई थी। यह मामला झूठे सबूत गढ़ने का प्रतीत होता है। कोर्ट ने अपराध की संभावना को लेकर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और कोतवाली थानाधिकारी लेखराज सियाग को शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए, मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी, जिसमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

- अपराधियों पर दिल्ली, राजगढ़, मध्यप्रदेश, केकड़ी सहित कई जगह मामले दर्ज हैं

भीड़भाड़ इलाके, बस स्टैंड, मार्केट में जाकर अपने काम को अंजाम देते थे, जिनको पकड़े जाने पर पता चला कि इन पर काफी मुकदमे पूर्व में दिल्ली, मध्यप्रदेश सहित कई स्टेट में पहले ही हैं। थानाधिकारी दायमा ने बताया कि आरोपी राधिका पत्नी चेतन चमार सिसोदिया निवासी कड़िया, जुली पत्नी बादल, रामकली पत्नी मोहर, ज्योति पत्नी पदमसिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इनको पीसी रिमांड पर भेजा गया। इनको पकड़ने में मेड़ता थाने का मुख्य योगदान रहा।

# अज्ञात युवक की सिर कुचली तीन दिन पुरानी लाश मिली

शरीर का कुछ हिस्सा जानवरों ने नौच डाला था

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित ईको पार्क के पास एक अज्ञात युवक की सिर कुचली। तीन दिन पुरानी लाश मिलने से समसनी फैल गई। शरीर का कुछ हिस्सा जानवरों ने नौच डाला था। ऐसे में शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पहचान के लिए शव अभी मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। हमीरगढ़ थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि ईको पार्क में मवेशी चराने गई महिलाओं ने बुधवार शाम प्लिनकट के स्थान पर शव की लाश देखी, जो बदबू मार रही थी। महिलाओं ने इसकी जानकारी ईको पार्क गाई के जरिये हमीरगढ़ पुलिस को दी। इस पर थाना प्रभारी सिंह मय जांबा मौके पर पहुंचे और मौका स्थल का मौका मुआयना किया। वहां खाई में एक युवक की लाश पड़ी थी, जो दो से तीन दिन पुरानी होकर



हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक की लाश मिली।

सड़-गल चुकी थी। उसका चेहरा कुचला हुआ था। शरीर का कुछ हिस्सा जानवरों ने नौच डाला। सिंह ने बताया कि मामला प्रथमदृष्टया युवक की सिर कुचलकर हत्या करना प्रतीत हो रहा है। पहचान के बाद ही स्थिति साफ हो पायेगी। उन्होंने

बताया कि मृतक की उम्र 25 से 30 साल के बीच की है। वह मेहंदी रंग का पायजामा और फ्रिंटेड शर्ट पहने हैं। पुलिस ने शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाते हुये मृतक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

# अजमेर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण तोड़े

पीड़ित ने आरोप लगाया कि एडीए द्वारा उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था

अजमेर, (कासं)। अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा गुरुवार को वैशाली नगर स्थित पेट्रोल पंप के सामने बने एक अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला कर ध्वस्त कर दिया। यह कार्यवाही मार्गाधिकार नियमों के तहत की गई। प्राधिकरण की तहसीलदार सुनीता के नेतृत्व में अधिकारियों और भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि एडीए द्वारा उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और कार्यवाही अंजाम दी। अजमेर विकास प्राधिकरण के मीडिया प्रभारी व उपयुक्त सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि गुरुवार को वैशाली नगर स्थित पेट्रोल पंप के सामने बने एक अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान भारत गैस गोदाम के आगे बने एक आवासीय मकान का लगभग 10 फीट हिस्सा गिराया गया। मकान मालिक



एडीए ने जेसीबी से मकान की दीवार को ध्वस्त किया।

मनोज का कहना है कि उनके पास 1987 में नगर सुधार न्यास द्वारा स्वीकृत नक्शा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने बिना किसी

पूर्व नोटिस के कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर मकान मालिक में आक्रोश है। मकान मालिक मनोज ने कहा कि उन्हें कोई सूचना या नोटिस

नहीं दिया गया। यह कार्रवाई पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, मेरे पास निर्माण का वैध नक्शा है। वहीं मीडिया प्रभारी शर्मा ने बताया कि मनोज डिडवानिया के

- एडीए द्वारा यह कार्यवाही मार्गाधिकार नियमों के तहत की गई

पास 1097 वर्गज भूमि आवंटन की गई थी, मौके पर इसके अलावा अवैध कच्चा भी किया गया था, जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्राधिकरण और नगर निगम ने भी क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कई भवनों को सीज किया था। यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। मौके पर मौजूद प्राधिकरण की तहसीलदार सुनीता ने कार्रवाई को लेकर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।